

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

उब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-११६८ वर्ष २०१७

मोती महतो, पे० स्वर्गीय गणपत महतो, निवासी ग्राम—दुमदुमी, डाकघर—दुमदुमी,
थाना—तोपचांची, जिला—धनबाद याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने प्रबंध निदेशक, लूबी सर्कुलर रोड, डाकघर एवं
थाना—धनबाद, जिला—धनबाद के माध्यम से।
2. सचिव, खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लूबी सर्कुलर रोड, डाकघर एवं थाना—धनबाद,
जिला—धनबाद
3. कार्यपालक अभियंता, जल आपूर्ति प्रमंडल, खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लूबी सर्कुलर
रोड, डाकघर एवं थाना—धनबाद, जिला—धनबाद

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाता—माडा के लिए:- श्री भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्तागण

03 / 06.03.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता, जो खलासी, तोपचांची अंचल, माडा, धनबाद के पद पर काम कर रहा था और 31.01.2017 को सेवानिवृत हुए। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि भविष्य निधि,

ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा और अन्य लाभों जैसे सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये को ब्याज के साथ उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि उसने एम०ए०डी०ए० के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुलग्नक—२ दिनांक 24.01.2017 और 07.02.2017 के द्वारा अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन के जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी—एम०ए०डी०ए० के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम०ए०डी०ए० से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति के बाद के बकायों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी—प्रबंध निदेशक, एम०ए०डी०ए०, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी—प्रबंध निदेशक, एम०ए०डी०ए० कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वे सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया

राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया राशि पाने का हकदार है, तो प्रतिवादी—एम०ए०डी०ए० द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ ही इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम०ए०डी०ए० के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)